

इन्द्राज दुरुस्ती

(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

आवेदन

507 312

14-7-15

सेवामें,

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय,  
गंगपुर सिटी

विषय - जमाबन्दी खाता संख्या 432 मे इन्द्राज दुरुस्ती बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डेडेरिकल A की जमाबन्दी संख्या 2069-72 के खाता संख्या 432 मे मेरी जाति/नाम/हिस्सा/प्रविष्टि चमार दर्ज हैं, जबकि मेरा सही नाम/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि करवा है।  
अतः सही नाम/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि करवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर दुरुस्ती करवाने की कृपा करावे।  
दिनांक .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान  
कतीलाल बाबूलाल शिरतन्या

गवाह के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान .....

जांच रिपोर्ट (भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का)

महोदय,

रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2069-72 ग्राम डेडेरिकल A के खाता संख्या 432 में प्रार्थी कतीलाल बाबूलाल पुत्र शतन्या नाम/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि चमार में दर्ज हैं। इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि करवा सही करवाना चाहता है। मैंने इसकी जांच कर ली है, प्रस्तावित नाम/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि सही पाई गई अतः प्रस्तावित नाम/जाति/हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मय दिनांक 31/7/15

हस्ताक्षर पटवारी मय दिनांक

कार्यालय तहसीलदार गंगपुर सिटी कैम्प  
क्रमांक :- भू.अ./प्रगासं/2013/

दिनांक :- 14/7/15

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगपुर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी श्री कतीलाल बाबूलाल पुत्र श्री शतन्या जाति चमार निवासी डेडेरिकल तहसील गंगपुर सिटी का नाम/जाति/प्रविष्टि चमार मुताबिक रिकार्ड 2069-72 दर्ज हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके स्थान पर करवा दुरुस्त करने की अभिशा की जाती है।

दिनांक

तहसीलदार (भू.अ.)  
गंगपुर सिटी

लोक अदालत कैम्प डेडेरिकल  
14-7-15 तहसीलदार गंगपुर सिटी की अनुशांसा पर प्रार्थी कतीलाल बाबूलाल शिरतन्या

जाति करवा कि डेडेरिकल की जाति राजस्थान श्र 2 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चमार के स्थान पर करवा शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है। पालना एवं तहसीलदार गंगपुर सिटी का लिखा जावे।

उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी  
कैम्प-डेडेरिकल

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प उदेई कलौ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदेई कलौ भूअ.सि. गंगापूर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदेई कलौ 'अ' तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में खाता संख्या 432 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उदेई कलौ 'अ'	432	बत्तीलाल, बाबूलाल पि. रतन्या जाति चमार	बत्तीलाल, बाबूलाल पि. रतन्या जाति बैरवा ( खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी )

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक:- 14 अक्टूबर 2015

क्रमांक:- 1045-47

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बत्तीलाल पि. रतन्या नि. उदेईकलौ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

14/10/15

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी